न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(टीना डाबी,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 28.08.2025

गोपाल बिहारी पुत्र शिवदयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सिरस तहसील निवाई जिला टोंक राज.

—निगरानीकर्ता

बनाम

1—लोकेश कुमार शर्मा पुत्र गोतम प्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सिरस तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2—ग्राम पंचायत सिरस पंचायत समिति निवाई जरिये सचिव ग्राम पंचायत सिरस तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3—ग्राम पंचायत सिरस पंचायत समिति निवाई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिरस तहसील निवाई जिला टोंक राज.

—नॉन निगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज.पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 35 दिनांक 25.02.2019 ग्राम पंचायत सिरस पंचायत समिति निवाई जिला टोंक

उपस्थिति : (1) श्री सीताराम विंजय,अभिभाषक निगरानीकर्ता

निर्णय **दिनांक 15.05.2026**

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र निगरानी का सार इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सिरस पंचायत समिति निवाई द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 लोकेश कुमार शर्मा पुत्र गोतम प्रकाश शर्मा के पक्ष मे दिनांक 25.02.2019 को आवासीय भूमि का पट्टा वाके ग्राम सिरस मे 129.31 वर्गगज भूमि का जारी किया है। निगरानीकर्ता ने सरपंच ग्राम पंचायत सिरस के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी प्रतिपक्षी जरिए सम्मन की गई एंव ग्राम पंचायत सिरस से पट्टे की पत्रावली तलब की गई। पट्टे की पत्रावली के साथ पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। नॉन निगरानीकर्ता संख्या 1 ता. 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की एवं निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत सिरस ने

जिला कलक्टर
टोंक

नॉन रिवीजनर संख्या 1 के हक में वाके ग्राम सिरस मे आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 35 दिनांक 25.02.2019 कुल 129.31 वर्गगज का जारी किया गया है। रिवीजनर व नॉन रिवीजनर उनके पूर्वज कल्याण बक्श की सन्ताने हैं। स्व. कल्याण बक्श के पुत्र जगदीश के ला औलाद फोत हो जाने व रामेश्वर के शिवप्रताप गोद चले जाने से हरिशंकर व शिवदयाल रहे, जिनमें से हरिशंकर के पुत्र गोतम प्रकाश के हिस्से में उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति आयी जिसका नॉन रिवीजनर संख्या 1 उत्तराधिकारी है तथा स्व. शिवदयाल के रिवीजनर व निरजन लाल उत्तराधिकारी है,जो आपसी सहमति से किये गये पारिवारिक बंटवारा के अनुसार उक्त सम्पत्ति रिवीजनर के हिस्से में आयी है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति में रिवीजनर व नॉन रिवीजनर संख्या 1 का बराबर–बराबर हक व हिस्सा है। नॉन रिवीजनर संख्या 2 व 3 द्वारा नॉन रिवीजनर संख्या 1 के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 35 दिंनाक 25.02.2019 विधि विरूद्ध एंव तथ्यों के विपरीत जारी किया है। तथाकथित पट्टा संख्या 35 दिनाक 25.02.2019 नॉन रिवीजनर संख्या 1 का भूखण्ड नहीं है। ग्राम पंचायत ने जिस स्थान का नॉन रिवीजनर संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है,उस स्थान/भूखण्ड में नॉन रिवीजनर संख्या 1 का 1/2 ही हक व हिस्सा है। मौके पर किसी तरह का नॉन रिवीजनर संख्या 1 का पुराना कब्जा नही है। मौके पर रिवीजनर व नॉन रिवीजनर संख्या 1 का संयुक्त कब्जा होकर दो मंजिला मकान बना हुआ है,जिसमें रिवीजनर व नॉन रिवीजनर संख्या–1 अपने अपने हक व हिस्से पर काबिज है। नॉन रिवीजनर संख्या 1 ने नॉन रिवीजनर संख्या 2 व 3 से सांठ गांठ कर तथाकथित पट्टा जारी करवा लिया है। भूखण्ड वार्ड संख्या 9 में स्थित है। मौका रिपोर्ट पर वार्ड पंच के हस्ताक्षर नही है। ग्राम पंचायत सिरस की जांच रिपोर्ट में हल्का पटवारी के हस्ताक्षर नही है। नॉन रिवीजनर संख्या 1 दिंनाक 27.12.1019 से पूर्व उक्त सम्पत्ति के रिवीजनर व नॉन रिवीजनर की संयुक्त सम्पत्ति होने के बावजूद अपनी अकेले की होने के बारे में लोगों को बताया जिस पर रिवीजनर ने नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिंनाक 20.03.2020 को सायंकाल प्राप्त हुई। पूर्व में रिवीजनर को जानकारी नहीं होने के कारण विकास अधिकारी पंचायत समिति निवाई के समक्ष अपील करने के कारण रिवीजनर रूपये का इन्तजाम कर वकील साहब से मिलकर उक्त रिवीजनर तैयार कराई जो जानकारी के दिन से अन्दर मियाद पेश है,यदि किसी तरह का कोई विलम्ब माना जावे तो उसे कण्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अतः ग्राम पंचायत सिरस द्वारा जारी पट्टा दिनांक 25.02.2019 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

हमने विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध पट्टे की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत सिरस पंचायत समिति निवाई द्वारा प्रारूप 23 क नियम 157(1) पंचायत राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत आवासीय भूमि का पट्टा,पट्टा संख्या 35 दिनांक 25.02.2019 को जारी किया गया है,जिसकी सीमाये उत्तर मे गोपाल बिहारी का मकान,दक्षिण मे आम रास्ता,पूर्व मे गोपाल बिहारी का मकान तथा पश्चिम मे आम रास्ता व आवासीय मकान का दरवाजा स्थित है। 129.31 वर्गगज का पट्टा लोकेश कुमार शर्मा पुत्र गोतम प्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सिरस के हक मे जारी किया गया है।

अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या–1 का कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत सिरस द्वारा जारी किये गये पट्टे के भूखण्ड/मकान मे रिवीजनर व नॉन रिवीजनर संख्या 1 का

जिला कलक्टर
टोंक

बराबर–बराबर हक व हिस्सा है। ग्राम पंचायत ने जिस स्थान का नॉन रिवीजनर संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है,उस स्थान/भूखण्ड में नॉन रिवीजनर संख्या 1 का 1/2 ही हक व हिस्सा है। मौके पर रिवीजनर व नॉन रिवीजनर संख्या 1 का संयुक्त कब्जा होकर दो मंजिला मकान बना हुआ है,जिसमें रिवीजनर व नॉन रिवीजनर संख्या–1 अपने अपने हक व हिस्से पर काबिज है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिरस से वांछित पट्टे की पत्रावली तलब किये जाने पर उनके द्वारा प्रेषित पत्र मे जारी किया गया पट्टा रजिस्टर्ड होने से उक्त पट्टे को निरस्त करवाने हेतु ग्राम पंचायत सिरस द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश निवाई के समक्ष वाद/प्रकरण प्रस्तुत कर रखा का उल्लेख किया है। अभिभाषक रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने से भी विदित होता है कि उक्त पट्टे को निरस्त करवाने हेतु ग्राम पंचायत सिरस ने माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश निवाई के समक्ष वाद/प्रकरण प्रस्तुत कर रखा है।

रजिस्टर्ड पट्टा बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने S.B. Civil Writ Petition no. 9438 of 2018 with S.B. Civil Writ Petition Nos. 4839 9442, 9450,9459, 9567, 9569, 9690, 9692, 9878, 11328, 11332, 11371 of 2018 उनवान गोपाल पटेल बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही वगै. में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021 में भी यह अंकित किया हैं कि''Rajasthan Municipalities Act, 2009-Secs. 312 & 327-Tehsildar filed the application before the Collector to quash the registered patta issued by the Municipal Council-Contention that the land is not of the Municipal Council but it is a Government land and the Municipal Council has no right to issue patta-Collector issued the notice-Registered patta cannot be annulled by the District Collector or any revisional authority in exercise of revisional jurisdiction-Registered patta can be set aside by the Civil Court only-Held, Proceedings and notices are quashed.

अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सिरस पंचायत समिति निवाई द्वारा जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 25.02.2019 वाके ग्राम सिरस के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई है,जारी किया गया पट्टा–विलेख उप पंजीयक निवाई द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है। चूंकि पट्टा रजिस्टर्ड होने से प्रस्तुत निंगरानी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार क्षेत्र से बाहर है। रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने का क्षवणाधिकार क्षेत्र न्यायालय हाजा को ना होकर माननीय सिविल न्यायालय को है। निगरानीकर्ता रजिस्टर्ड पट्टा–विलेख के विरूद्व सिविल न्यायालय मे वाद/प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र है। 'ऐसी स्थिति मे सरपंच ग्राम पंचायत सिरस पंचायत समिति निवाई द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता अस्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत सिरस पंचायत समिति निवाई द्वारा दिनांक 25.02.2019 को नॉन निगरानीकर्ता संख्या–1 के हक मे जारी किये गये पट्टे को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)